न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 31/2018

1 भादरमल आयु 72 साल पुत्र गुल्लाराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 हरलाल सिंह पुत्र झूंथाराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। रेस्पोडेन्ट/वादी
2 सरदाराराम पुत्र झूंथाराम
3 प्रहलादराम पुत्र झूंथाराम
4 मदनलाल पुत्र झूंथाराम
5 श्रवण कुमार पुत्र झूंथाराम
6 सांवरमल पुत्र झूंथाराम
7 मूलाराम पुत्र झूंथाराम
8 बंशीधर पुत्र गुल्लाराम
9 जगदीश प्रसाद पुत्र गुल्लाराम
10 बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पौंख जरिए शाखा प्रबन्धक
11 कॉर्पोरेशन बैंक शाखा टोडी जरिए शाखा प्रबन्धक
12 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम एसबीबीजे) शाखा गुढ़ागौड़जी
13 भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 31.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी हरलाल सिंह सरकार बनाम भादरमल वगै. मु.नं. 202/2016 दावा बाबत विभाजन एंव स्थाई नि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 32/2018

1 भादरमल आयु 72 साल पुत्र गुल्लाराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 हरलाल सिंह पुत्र झूंथाराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। रेस्पोडेन्ट/वादी
2 सरदाराराम पुत्र झूंथाराम
3 प्रहलादराम पुत्र झूंथाराम
4 मदनलाल पुत्र झूंथाराम
5 श्रवण कुमार पुत्र झूंथाराम
6 सांवरमल पुत्र झूंथाराम
7 मूलाराम पुत्र झूंथाराम
8 बंशीधर पुत्र गुल्लाराम
9 जगदीश प्रसाद पुत्र गुल्लाराम
10 बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पौंख जरिए शाखा प्रबन्धक
11 कॉर्पोरेशन बैंक शाखा टोडी जरिए शाखा प्रबन्धक
12 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम एसबीबीजे) शाखा गुढ़ागौड़जी
13 भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 06.04.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी
हरलाल सिंह बनाम भादरमल वगै. मु.नं. 202/2016 दावा
बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 व 06.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 275, 276, 277, 278, 295, 297, 298, 299, 310, 312, 313, 314 वाके ग्राम ककराना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। प्राथमिक डिक्री की अपील के साथ धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट हरलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद तलबी प्रतिवादीगण हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 01.06.2017 को नियत था परन्तु विचारण न्यायालय ने पक्षकारान मुकदमा को बिना विधिक रूप से सूचित किए हुए ही तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 31.05.2017 को पक्षकारान की गैर मौजूदगी में वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया तथा हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके पर गये अपने कार्यालय में बैठकर अवैध रूप से तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण को आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना ही इकतरफा रूप से दिनांक 06.04.2018 को वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री कर दिया गया जो विचारण न्यायालय की विधि एवं प्रकिया की एक गंभीर भूल है। कानूनन किसी वाद के पक्षकारान के विधिक अधिकार प्राथमिक डिक्री के द्वारा ही तय किये जाते है एवं किसी वाद को प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने से पूर्व उस वाद के पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर ही पक्षकारान के अधिकार तय किये जाते है परन्तु वर्तमान प्रकरण तलबी प्रतिवादीगण हेतु नियत था जिसमें समस्त प्रतिवादीगण की तामील विधिक रूप से करवाई जाकर सभी पक्षकारान को प्रतिरक्षा एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, न ही उक्त दावे में कोई तनकीयात कायम की गई, न ही वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पहले एकतरफा रूप से वाद वादी प्राथमिक डिक्री कर दिया गया तत्पश्चात हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट व अन्य प्रभावित प्रतिवादीगण की गैरमौजूदगी में उन्हें बिना आपति का अधिकार दिये हुए ही उक्त मुकदमा में अंतिम डिक्री पारित कर दी इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना में होने से सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा रूप से पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 31.05.2017 में तहसीलदार उदयपुरवाटी को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं (कैम्प सीकर)

करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा विधि का यह आज्ञापक सिद्धान्त है कि प्रत्योजित शक्तियों को प्रत्योजित व्यक्ति द्वारा आगे अन्य व्यक्ति को प्रत्योजित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि किसी भी कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव हेतु संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर उभयपक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवाने चाहिए परन्तु वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव स्वयं तैयार नहीं कर हल्का पटवारी द्वारा तैयार करवाये गये है। जिसने रेस्पोडेन्ट व उसके अन्य भाईयों से साजकर मौके पर नहीं जाकर अपने कार्यालय में बैठकर एकतरफा रूप से अव्यवहारिक विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार उदयपुरवाटी के मार्फत विचारण न्यायालय में भिजवाये है जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व अन्य प्रभावित प्रतिवादीगण को उन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अविधिक रूप से उन विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री करने में भारी कानूनी भुल की है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी हरलाल द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 31.05.2017 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 06.04.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति के उपरांत भी प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायायल की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 03.05.2017 तक तलबी में नियत चल रही थी। दिनांक 03.05.2017 को आगामी तिथि 01.06.2017 नियत की गई। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया के पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना दिनांक 31.05.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट ककराना में रखकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार तलबी पूर्ण किये बिना जवाब प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्ताव के अंकन से होती है। इसमें पटवारी हल्का ने अंकन किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.06.2017 की पालना में दिनांक 23.10.2017 को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन के संदर्भ में माननीय मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों की तलबी पूर्ण कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार-II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर